न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 158 सन 2024
अनवान :–

1. नवाबखां पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/9/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल.आर.एक्टके तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 272/265 के प0न0 381/466(375) के किला न0 6/0.2530 ,13 ता 18/1.518हैक , 22 ता 25/1.012हैक प0न0 382/466(374) के किला न0 2 ता 25 /6.072हैक प0न0 383/466(373) के किला न0 10 ,11/0.506हैक 20, 21/0.506हैक कुल 9.5140हैक भूमि में प्रार्थी का 1/24 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि प्रार्थी को अपने दादा जीवनखां पुत्र रमज्यानी से प्राप्त हुई है वाद भूमि प्रार्थी की दादालाई सम्पति है जिसमें कादरखां के दो लडके रमन्यानी व नबीवक्स हुए रमज्यानी के एक लडका जीवनखां जो फोत हो गया है जिसके दो लडके गलेखां उर्फ बुलेखा व गफुर खां है गुलेखां उर्फ बुलेखां के 6 लडके व गफूर खां के 4 लडके जमाबन्दी के अनुसार है नबीवक्स के फोत होने पर मानेखा उर्फ माना व फूसा खां दो लडके हुए माना उर्फ माने खों के 7 लडके व एक फोत होने पर उसके चार वारिस हुए फुसाखां फोत हो गया है जिसके तीन लडके है मुगतु खां के 4 लडके तथा मामदीन पुत्र सराजुदीन के 3 लडके जो जमाबन्दी में दर्ज के अनुसार है।

वाद भूमि पूरानी पर्चा खतौनी के अनुसार जीवनखां का निस्फ हिस्सा व माना उर्फ माने खां , फुसाखां के निस्फ हिस्सा दर्ज था लेकिन राजस्व रिकार्ड पर्चा खतौनी के बाद की जमाबन्दीयों में जीवनखा को माना फर्र माने खां फुसे खा के बराबर 1/3 –1/3 हिस्सा दर्ज कर दी जो कतई गलत दर्ज किया गया था सजरा खानदान से स्पष्ट है कि कादरखां के वारिसान में जीवणखां पुत्र रमज्यानी 1/2 हिस्सा तथा माने उर्फ माने खां व फुसा खां पुत्र नबीवक्स 1/2 हिस्सा दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया इसलिये रिकार्ड संशोधन किया जाना है।

वादग्रस्त भूमि के बेयनामा दिनांक 26.07.1972 को गलेखा उर्फ बलेखा व गफूरखां पि0 जीवन ने 4 बीधा भूमि का बैयनामा सराजुदीन वल्द मामदीन , मंगतु व नूरदीन पि0 फुसाखां के वारिसान का 1/2 हिस्सा व युसुफ खा , मांगेखा बनवारी , सफी , सदीक मुन्शी खां फरीदखा पि0 माना उर्फ माने खा का 1/2 हिस्सा भूमि का तस्दीक करवाया था इस तरह माना उर्फ माने खां के वारिसो ने 4 बीघा भूमि खरीद की थी अब भी इनके वारिसो के नाम 2.04 बीधा भूमि अधिक दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज है संशोधन किया जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:40:16 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि पर्चा खतौनी में सही तौर से दर्ज है उससे आगे रिकार्ड में हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज की गई है अन्य चक 10 जीजीएस की जमाबन्दी में सजरा खानदान के अनुसार सही तौर से दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि निस्फ हिस्सा यानी 1/2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा जीवनखां व उसके वारिसान का है निष्फ हिस्सा में माना उर्फ माने खां व फुसा खा दोनो का और उनके वारिसान का 1/2 हिस्सा के हकदार है इसी अनुसार जमाबन्दी संशेधन करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को उक्तानुसार जमाबन्दी संशोधन करने का निवेदन करने पर इन्कार हो गये इसलिये रिकार्ड दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 272/265 की कुल 9.5140हैक्ट में प्रार्थी व अन्य सहकाश्तकारों का हक हिस्सा निम्नप्रकार से संशोधन किया जाता है नबाबखां, चिरागदीन, बरकतखां, मागेखा पुत्र गफूर खां प्रत्येक का 18725/380560 हिस्सा, आमीन खां, छोटुखां, जमालदीन, रूकनदीन, सलामुदीन, हासम खां पुत्रगण गुले खां उर्फ बुले खा प्रत्येक का 18725/570840 हिस्सा, फरीदखां, मुन्शीखां, युसुफ, सदीक खां, सफी मोहम्मद पुत्र माना उर्फ माने खां, मांगेखां पुत्र शेर मोहम्मद उर्फ शेर खां प्रत्येक का 28845/665980 हिस्सा व अली मोहम्मद, अकबर खां, गुलाम मोहम्मद, नूरलिका पि0 बनवारी खां प्रत्येक का 28845/2663920 हिस्सा तथा जानी मोहम्मद, यासीन खा, फजलदीन छोटूखां पि0 मंगतुखां प्रत्येक का 28845/1141680 हिस्सा व मुश्ताक, हाकम अली, अली मोहम्मद, सुबेदीन पुत्रगण नूरदीन उर्फ नूरा प्रत्येक का 28845/1141680 हिस्सा व हुसैन मांगेखां, इलमदीन पुत्र सराजुदीन प्रत्येक का 28845/856260 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया गया प्रार्थी ने साक्ष्य में दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि दादालाई भूमि है जो विरास्तन से प्रार्थी को प्राप्त हुई है प्रार्थी के पूर्वज के पर्चा खतौनी में जीवण खां पुत्र रमज्यानी निष्फ हिस्सा, माना उर्फ मानेखां, फुसाखां पि0 नबीवक्स का निष्फ हिस्सा दर्ज था जो सही प्रकार से पर्चा खतौनी एवं भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी में दर्ज है किन्तु आगामी जमाबन्दीया तैयार करते समय जीवनखां, माना उर्फ मानेखां फुसाखां तीनो को 1/3 – 1/3 हिस्सा में दर्ज कर दिया एव आगामी जमाबन्दीयों में विरास्तन से इसी प्रकार दर्ज होता चला गया इसी अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है जो गलत है पर्चा खतौनी के अनुसार आगामी जमाबन्दीयों में दर्ज किया जाना चाहिये था जो नही किया गया वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी एवं उसके परिवार की हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज है जिसे प्रार्थी संशोधन करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाकर पर्चा खतौनी के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन की जाकर वारिसान के नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा कस्सी को संशोधन किया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तामरण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 272/265 की कुल 9.5140हैक्ट भूमि में प्रार्थी का 1/24 हिस्सा [illegible] में दर्ज है।

प्रार्थी का कथन है कि पर्चा खतौनी [illegible] जीवनखां पुत्र रमज्यानी निष्फ हिस्सा एव माना उर्फ माने खां, फुसाखां [illegible] नबीवक्स की निष्फ हिस्सा दर्ज थी किन्तु आगामी जमाबन्दीयों में जीवनखां पुत्र रमज्यानी, माना उर्फ मानेखां, फुसेखां पि0 को 1/3 –1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जो रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का कथन सही प्रतित होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:40:16 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पर्चा खतौनी के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी में वाद भूमि जीवनखां पुत्र रमज्यानी निष्फ हिस्सा एव माना उर्फ माने खां , फुसेखां पि0 नवीवक्स का निष्फ हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार भू0 प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी में भी वाद भूमि में जीवनखां पुत्र रमज्यानी निष्फ हिस्सा एव माना उर्फ माने खां , फुसेखां पि0 नवीवक्स का निष्फ हिस्सा दर्ज है इसीप्रकार प्रस्तुत बेयनामा में भी वाद भूमि में जीवनखां पुत्र रमज्यानी निष्फ हिस्सा एव माना उर्फ माने खां , फुसेखां पि0 नवीवक्स का निष्फ हिस्सा दर्ज किया गया है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट साबित होता है की वाद भूमि पर्चा खतौनी एव भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी में जीवणखां पुत्र रमज्यानी निष्फ हिस्सा व माना उर्फ माने खां , फुसाखां पुत्र नबीवक्स निष्फ हिस्सा दर्ज थी अर्थात जीवणखां पुत्र रमज्यानी का 1/2 हिस्सा , माना उर्फ मानें खां , फुसाखा पुत्र नवीवक्स का 1/2 हिस्सा दर्ज था इसी अनुसार आगामी जमाबन्दीयों में दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु आगामी जमाबन्दीयों में जीवणखां , माना उर्फ माने खां , फुसाखा को बहिब अर्थात प्रत्येक को 1/3 ' 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया उसी अनुसार विरास्तन से उनके वारिसान के नाम दर्ज होता चला गया जो वर्तमान जमाबन्दी में भी दर्ज है पर्चा खतौनी के अनुसार आगामी जमाबन्दीयों में दर्ज नही होने से हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज चली आ रही है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर्चा खतौनी एव भू0 प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी के अनुसार आगामी जमाबन्दीयों मे हिस्सा कस्सी दर्ज करवाना चाहते है जिसका प्रार्थी अधिकारी है राजस्व रिकार्ड में निष्फ का अर्थ समझ में नही आने से प्रार्थी की हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हुई है जिसे प्रार्थी संशोधन करवाने का अधिकारी है जमाबन्दी संशोधन करने से राज्यपक्ष को कोई हानी नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन/आदिनांक होता है जो न्यायोचित है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 272/265 की कुल 9.5140हैक्ट में प्रार्थी व अन्य सहकाश्तकारों का हक हिस्सा निम्नप्रकार से संशोधन किया जाता है नबाबखां , चिरागदीन , बरकतखां , मागेखा पुत्र गफूर खां प्रत्येक का 18725/380560 हिस्सा , आमीन खां , छोटुखां , जमालदीन , रूकनदीन , सलामुदीन, हासम खां पुत्रगण गुले खां उर्फ बुले खा प्रत्येक का 18725/570840 हिस्सा , फरीदखां , मुन्शीखां , युसुफ , सदीक खां , सफी मोहम्मद पुत्र माना उर्फ माने खां , मांगेखां पुत्र शेर मोहम्मद उर्फ शेर खां प्रत्येक का 28845/665980 हिस्सा व अली मोहम्मद , अकबर खां, गुलाम मोहम्मद , नूरलिका पि0 बनवारी खां प्रत्येक का 28845/2663920 हिस्सा तथा जानी मोहम्मद , यासीन खा, फजलदीन छोटूखां पि0 मंगतुखां प्रत्येक का 28845/1141680 हिस्सा व मुश्ताक , हाकम अली, अली मोहम्मद , सुबेदीन पुत्रगण नूरदीन उर्फ नूरा प्रत्येक का 28845/1141680 हिस्सा व हुसैन मांगेखां , इलमदीन पुत्र सराजुदीन प्रत्येक का 28845/856260 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कस्सी दर्ज की जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाती है इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जाकर शामिल मिसल किया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/9/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:40:16 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व /58/2024/136 एल.आर.एक्ट/2024/931 दिनांक :– 20/9/24

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषर्य :– प्रकरण संख्या 58/2024 अनवानी नबाब खां बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करने के सम्बध मे।

अनवान :–

1. नवाबखां पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 272/265 की कुल 9.5140हैक में प्रार्थी व अन्य सहकाश्तकारों का हक हिस्सा निम्नप्रकार से संशोधन किया जाता है नबाबखां , चिरागदीन , बरकतखां , मागेखा पुत्र गफूर खां प्रत्येक का 18725/380560 हिस्सा , आमीन खां , छोटुखां , जमालदीन , रूकनदीन , सलामुदीन, हासम खां पुत्रगण गुले खां उर्फ बुले खा प्रत्येक का 18725/570840 हिस्सा , फरीदखां , मुन्शीखां , युसुफ , सदीक खां , सफी मोहम्मद पुत्र माना उर्फ माने खां , मांगेखां पुत्र शेर मोहम्मद उर्फ शेर खां प्रत्येक का 28845/665980 हिस्सा व अली मोहम्मद , अकबर खां, गुलाम मोहम्मद , नूरलिका पि0 बनवारी खां प्रत्येक का 28845/2663920 हिस्सा तथा जानी मोहम्मद , यासीन खा, फजलदीन छोटूखां पि0 मंगतुखां प्रत्येक का 28845/1141680 हिस्सा व मुश्ताक , हाकम अली, अली मोहम्मद , सुबेदीन पुत्रगण नूरदीन उर्फ नूरा प्रत्येक का 28845/1141680 हिस्सा व हुसैन मांगेखां , इलमदीन पुत्र सराजुदीन प्रत्येक का 28845/856260 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कस्सी दर्ज की जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाती है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:40:16 IST
Reason: SelfAttested